न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12 / 2022(2022 / 87)

1. मैसर्स नोर्थ माईन्स जरिये पार्टनर हिस्सा 99 / 100 अभिषेक शुक्ला पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जाति ब्राम्हण निवासी 3 सुरज नगर वेस्ट सिविल लाईन्स अजमेर रोड जयपुर।
2. मैसर्स नोर्थ माईन्स जरिये पार्टनर हिस्सा 1 / 100 ईन्दू शुक्ला पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जाति ब्राम्हण निवासी 3 सुरज नगर वेस्ट सिविल लाईन्स अजमेर रोड जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र जगदीश जाति धाकड़।
2. रामसहाय पुत्र जगदीश जाति धाकड़।
3. श्योचन्द पुत्र जगदीश जाति धाकड़।
   समस्त निवासीगण बीड कॉलोनी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. मैसर्स महादेव ग्रेनाईट जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुराडिया पुत्र मोहनलाल कुराडिया जाति जाट निवासी नैनिया तहसील परबतसर जिला नागोर।
5. मैसर्स महादेव ग्रेनाईट जरिये पार्टनर आलोक मोदी पुत्र श्री गणेश कुमागर अग्रवाल जाति महाजन निवासी मानसरोवर जयपुर राजस्थान।
6. मैसर्स महोदव ग्रेनाईट जरिये पार्टनर रंगलाल पुत्र सावतराम जाति जाट निवासी फागी जिला जयपुर राजस्थान।
7. मैसर्स महादेव ग्रेनाईट जरिये पार्टनर राहुल ककुमार डोकानिया पुत्र रमेश डोकानिया जाति अग्रवाल निवासी जयपुर जिला जयपुर।
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील प्रार्थीगण
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा—वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) – अप्रार्थी संख्या 8

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 14.6.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम कंसरपुरा तहसील केकडी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता सख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
308—88	5802	0.50	बारानी 1
307—233	6963 / 5803	0.16	बारानी 1
	6964 / 5803	0.20	बारानी 1

वाद वर्णित आराजीयात वादीगण के खातेदारी की आराजीयात है जो कि वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है जिसमें वादीगण काश्तकारी का कार्य कर उपज प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला—अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात जिसमे आने जाने का कदीमी रास्ता जो खसरा न. 5797, सरकारी भूमि से होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी ख न 5798, 5799, 5800, 5801, व 5796 व 6876 ६ 5796 की मेड से होकर आते जाते है। उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा न 5797, सरकारी भूमि से होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी ख न 5798, 5799, 5800, 5801, व 5796 व 6876 ६ 5796 की मेड के मध्य मे से होकर बना हुआ है जिस पर कदमी रास्ते से होकर वादीगण अपनी उक्त आराजीयात पर आते जाते रहे है । तथा इसी कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग वादीगण बिना रोक टोक के करते चले आ रहे है । उक्त कदीमी रास्ते के अलावा वादीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का अन्यत्र कोई रास्ता नही है । उक्त ख न खातेदारी की आराजीयात आने जाने व उपयोग उपभोग व कृषि यन्त्र ले जाने का एक मात्र रास्ता इन्ही ख न मे से होकर जाता है जो कि वादीगण का कदीमी रास्ता है वादीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से करता चले आ रहे है । प्रतिवादीगण अपनी लाठी की ताकत पर उक्त वर्णित कदमी रास्ते खसरा न 5797, सरकारी भूमि से होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी ख न. 5798, 5799, 5800, 5801, व 5796 व 6876 ६ 5796 की मेड पर से होकर बने रास्ते के उपयोग उपभोग मे अवरोध उत्पन्न कर रहे है तथा लडाई झगडा करने पर आमदा हो जाते है। प्रतिवादीगण नाजायज रूप से खसरा न. 5797, सरकारी भूमि से होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी ख न. 5798, 5799, 5800, 5801, व 5796 व 6876 ६ 5796 की मेड के लगवा व सरकारी रास्ते की भूमि के लगवा बने कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न करते है। तथा प्रतिवादीगण कदमी रास्ते को अपनी आराजी में मिलाने के कोशिश कर रहे है। वादीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा हो जाते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है । इस कदिनी रास्ते के अलावा वादीगण की आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा इस कदीमी रास्ते को रोक देने से वादीगण अपनी आराजीयात आ जा नही सकेंगे। जिससे वादीगण के हितोबद्ध विपरित प्रभाव पडेगा। तथा वादीगण अपनी कदीमी रास्ते से सदेंव के लिए वंचित हो जायेंगे । इसलिए वादीगण को अपनी खातेदारी की आराजी पर आने जाने हेतु प्रतिवादीगण की खातेदारी से 30 फिट का रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। जिसके बाबत वादीगण प्रतिवादीगण को डी.एल.सी दर से आराजी की शुल्क न्यायालय में न्यायालय के आदेशानुसार जमा करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर हैं। प्रतिवादीगण दिनाक 9.02.2021 को वादीगण के उक्त कदमी रास्ता जो कि प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात की मेड से होकर बना हुआ था को अवरूद्व कर धमकी दी की इस रास्ते पर तुम्हारा किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है । तथा इस रास्ते की भूमि को हम अपनी आराजीयात में मिलाकर काश्त करेंगे तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते अतः इस रास्ते को खुलासा कराने हेतु यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया ।प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की वाद वर्णित खातेदारी कि आराजी पर आने जाने के लिए बने कदीमी रास्ता खसरा न. 5797, सरकारी भूमि से होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी ख नं. 5798, 5799, 5800, 5801, व 5796 व 6876 ६ 5796 की मेड व सरकारी भूमि पर बने रास्ते को खुलसा करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे की कदीमी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही करे ना ही उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे पक्षान्तर माननीय न्यायालय इस निर्णय मे पहुंचे की डी. एल. सी. दर के आधार पर रास्ता प्रतिवादीगण से दिलाया जाकर शुल्क वादीगण से वसुल की जावे तो 30 फिट रास्ते की भूमि के बावत वादीगण डी. एल सी दर के अनुसार रास्ते मे आई हुई भूमि का शुल्क न्यायालय में जमा कराने हेतु तैयार एवं तत्पर है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर **अप्रार्थीगण** को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सख्या 4 से 8 बावजूद सूचना व सम्मन तामिली के **अनुपस्थित रहने** से उनके खिलाफ एकतरफ। कार्यवाही अमल मे लाई गई। **अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ।** जिसे सामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है

अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 3 की आराजी खसरा संख्या 5796 एव खसरा संख्या 6876 / 5796 की मेड पर से होकर कभी किसी प्रकार का रास्ता नही रहा है एंव न ही वर्तमान में कोई रास्ता है अतः वादीगण का उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है खसरा संख्या 6876 / 5796 खातेदार श्री कजोड, दुर्गा, भूरी पिसरान बैजनाथ धाकड निवसी केसरपुरा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जो उक्त प्रकरण में आवश्यक फरीक मुकदमा होने के कारण उनको पक्षकार नही बनाये जाने से कानूनन खारिज होने योग्य है। वादीगण की आराजी पुरान खसरा सख्या 2459 जिसके नये खसरा संख्या 5802, 6963 / 5803, 6994 / 5803, खसरा संख्या 5798, 5799, 5800, 5801 एवं अन्य आराजीयात 5812, 5800, 5813, 5814, 5815, 5809, 5811, 5804, 5810 स्वर्गीय श्री गोविन्दा गुर्जर के पुत्र सर्व श्री मूला, भूरा जगन्नाथ गुर्जर निवासीगण केसरपुरा की होने के कारण इसी में से आते जाते रहे है तथा वादीगण ने माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छीपाते हुए

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरित जाकर कतई गलत एव निराधारा आरोपो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कि जिसे शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है।

कि आवेदक श्री अभिषेक शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला पार्टनर मैसर्स नाथ माईन्स द्वारा ग्राम केसरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 5802 मे आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 5786, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801 मे से रास्ता चाहा गया है जिसकी जांच पटवारी हल्का जूनिया व भू.अ.नि. जूनिया से कराई गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 5802 मे आने जाने के लिये पूर्व मे खसरा नंबरान 5786, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801 के पूर्व दिशा की मेड से ही आने जाने के लिए मौके पर रास्ता चालू है। पूर्व में एक ही परिवार के होने के कारण इसी मेड से ही आते जाते रहे है एव सबसे निकटतम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है ग्राम केसरपुरा के खसरा नम्बर 5786 व 5797 रकबा 1.26 हैक्टर ग्राम पंचायत केसरपुरा व 5798, 5799, 5800, 5801/1253, रकबा 2.02 मेसर्स महादेव ग्रेनाईट जरिये पाटनर्स रगलाल जाट पुत्र सांवताराम जाट, राजेन्द्र कुराडिया पुत्र मोहन राम कुराडिया, राहुल कुमार डोकनिया पुत्र रमेश डोकनिया, आलोक मोदी, पुत्र गणेश कुमार अग्रवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है खसरा नम्बर 5797 मे से 24x6=144 वर्गमीटर, खसरा नंबर 5798 में से 24x6=264 वर्गमीटर, खसरा नंबर 5799 मे से 40x6=240वर्गमीटर, खसरा संख्या 5800 में से 40x6=240वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 5801 मे से 40x6=240वर्गमीटर यानि कुल 1128 वर्गमीटर भूमि रास्ते मे पडती है ग्राम केसरपुरा की डी.एल.सी दर 316216रूपये प्रति हेक्टर से रास्ते में पडने वाली भूमि की कीमत 35670/– बनती है जिसकी दुगुनी राशि 71340/– रूपये बनती है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक में वैकल्पिक रास्ता नही है एवं सबसे निकटतम रास्ता प्रस्तावित रास्ता ही है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 5802 पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 5786,5797,5798,5799,5800,5801 मे सें होकर रास्ता उपयोग कर रहे है। जो मौके पर रास्ता चालू है। जो कि निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन है निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किय जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की **आराजी खसरा नंबर 5802 में** आने जाने के लिए 5786, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801 के पूर्व दिशा की मेड से **ही आने जाने के लिए** मौके पर रास्ता चालू है। जिसमे 5786 ग्राम पंचायत केसरपुरा के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 5797 मे से 24x6=144 वर्गमीटर, खसरा नंबर 5798 में से 24x6=264 वर्गमीटर, खसरा नंबर 5799 मे से 40x6=240वर्गमीटर, खसरा संख्या 5800 में से 40x6=240वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 5801 मे से 40x6=240वर्गमीटर यानि कुल 1128 वर्गमीटर भूमि रास्ते मे पडती है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर 316216 रू प्रति हैक्टर से रास्ते मे उपयोग आयी भूमि कीमत 35670/– बनती है जिसकी दोगुना राशि 71340/– रूपये अप्रार्थीगण को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 5797,5798,5799,5800,5801 में मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थीगण से उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 71340/– रूपये बनी(मौका रिपोर्ट अनुसार) राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे, अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 5802 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस मे दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी(अजमेर)

Scanned with CamScanner